[24/7/2017]

परिशिष्ट "अ"

1

विधान सभा 2335 पूरक जानकारी
झिरियाडोल जलाशय योजना

झिरियाडोल जलाशय (विकासखंड–शाहपुर, जिला–बैतूल) बांध की स्वीकृति म. शासन के पत्र कमांक एफ–32/3/79/मु.ल./31 दिनांक 20.08.79 द्वारा रू. 21.52 लाख की प्राप्त हुई थी। योजना का रूपांकित क्षेत्र 158हे. है। इस योजना पर माह फरवरी–1980 से कार्य प्रारंभ कर दिया गया था। तथा सितम्बर–1980 तक बांध का 60 प्रतिशत एवं नहर का 40 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका था।

वर्ष 1980 में भारत सरकार पर्यावरण वन मंत्रालय के अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम–1980 लागू हो गया। चूंकि झिरियाडोल जलाशय योजना के निर्माण से 43.109हे. वन भूमि प्रभावित हो रही थी। इसलिये वन सरंक्षण अधिनियम लागू होने के कारण योजना के वन प्रकरण को उस समय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने से येाजना का कार्य लंबित हो गया।

भारत सरकार पर्यावरण वन मंत्रालय के पत्र कमांक एफ–8/57/2006/एफ. सी. दिनांक 12.07.2006 के द्वारा योजना के वन प्रकरण को प्रथम चरण की सैद्धातिंक स्वीकृति जारी की गयी थी। जिसके अनुसार कुल रू. 294.33 लाख की राशि वन विभाग को भुगतान की जानी थीं।

कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल के पत्र कमांक 373/33/11/06 दिनांक 12.07.07 के द्वारा सूचित किया गया कि बैतूल जिले की झिरियाडोल तालाब योजना के पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रकरण पर **स्थायी वित्तीय समिति की बैठक दिनांक 04.06.07 के अनुरूप योजना की प्रति हेक्टेयर लागत अधिक होने के परिप्रेक्ष्य में योजना प्रस्ताव अमान्य कर दिया गया।**

वर्ष 2008 मे प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल के पत्र कमांक 373/33/11/06 दिनांक 26.02.08 के द्वारा पुनः सूचित किया गया कि बैतूल जिले की झिरियाडोल तालाब योजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रकरण पर **स्थायी** वित्तीय समिति की बैठक दिनांक 24.01.08 से योजना की प्रति हेक्टेयर लागत अधिक होने के परिप्रेक्ष्य में योजना का प्रस्ताव अमान्य कर दिया गया है।

वर्तमान स्थिति में योजना पूर्ण करने की लागत निम्नानुसार है:—

1. योजना के शेष कार्यो को पूर्ण करने की लागत		रू. 455.50 लाख
2. वन प्रकरण के निराकरण हेतु वन विभाग को भुगतान किये जाने वाली संभावित राशि रू. 15.00 लाख प्रति हे. की दर से)		रू. 646.34 लाख
	योग	**रू. 1101.93 लाख**

योजना की वर्तमान लागत प्रति हेक्टेयर रू. 6.97 लाख आ रही है। वर्तमान में विभाग द्वारा नहर सहित जलाशय योजना के निर्माण हेतु रू. 3.50 लाख प्रति हेक्टेयर की लागत मान्य की गई है। (संदर्भ म.प्र.शासन जल संसाधन विभाग भोपाल का प.क्र. एफ—373/22/25/7/ल.सि./31/799 दिनांक 17.08.15) इस प्रकार वर्तमान स्थिति में योजना निर्माण की लागत मान्य लागत से लगभग दोगुनी आ रही है।

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग क्रमांक 2
बैतूल

B.S. DHUR
CHIEF ENGINEER
Water Resources Department
Hoshangabad

(पी. के. वर्मा)
अधीक्षण यंत्री
जल संसाधन मण्डल, बैतूल (म.प्र.)